न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 10/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

विकास गर्ग पुत्र श्री प्रदीप गर्ग उम्र 19 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स विकास गर्ग, लखेरा गली, छीतम टीला, सागर शोरूम के पास, आजाद मण्डी, बयाना (भरतपुर)

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी उपस्थित

2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 20.10.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलें दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 20.10.2020 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी उपस्थित। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 20.10.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 19.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में 5 किग्रा0 घी का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 800 ग्राम घी 400/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–779/एक्ट/2019/757 दिनांक 06.12.2019 द्वारा उक्त घी का नमूना अवमानक स्तर (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का घी आम जनता को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) एवं 26 (2)(v) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से घी का निर्माण करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 19.10.2019 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित घी का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.12.2019 में अवमानक स्तर (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा घी का दुकान पर निर्माण करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 05 किग्रा0 घी ही वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र 05 किग्रा. घी ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाया गया है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 800 ग्राम घी 400/– रूपये में क्रय किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 05 किग्रा. घी की कीमत मात्र 2500/– रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

कि गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/– रूपये (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 20.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर